रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062026-273230
CG-DL-E-06062026-273230

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2733] नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2026/ज्येष्ठ 13, 1948
No. 2733] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2026/JYAISTHA 13, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2026

सं.20 /2026-27

विषय: विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाइयों और डेवलपर्स द्वारा आयात पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ)/बीआईएस आवश्यकताओं की प्रयोज्यता-एफटीपी, 2023 के पैरा 2.03 (क)(iii) में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 2827(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा एफटीपी, 2023 के पैरा 2.03 (क)(iii) में तत्काल प्रभाव से एसईजेड आयात से संबंधित निम्नलिखित संशोधन करती है, जो इस प्रकार हैं:

मौजूदा पैरा 2.03 (क)(**iii**)	संशोधित पैरा 2.03 (क)(iii)
बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत जारी अनिवार्य क्यूसीओ की प्रयोज्यता से छूट उन निविष्टियों के आयात पर एसईजेड को प्रदान की जाएगी जो निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। ऐसी निविष्टियों या ऐसी निविष्टियों से निर्मित माल की कोई डीटीए निकासी की अनुमति नहीं है। इस आशय का एक वचन एसईजेड इकाई द्वारा आयात के समय एसईजेड के संबंधित विकास आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा। क्यूसीओ से छूट केवल व्यावहारिक निर्यातों के लिए उपलब्ध होगी। यह छूट एफटीपी के पैरा 2.03 (ग) के अधीन है।	बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) की प्रयोज्यता से छूट विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के भीतर प्राधिकृत संचालन के लिए आवश्यक कच्चे माल, घटकों, उपभोग्य वस्तुओं, कलपुर्जे और पूंजीगत वस्तुओं सहित सभी अनुमत वस्तुओं के आयात के लिए एसईजेड इकाइयों या एसईजेड डेवलपर्स को एसईजेड अधिनियम, 2005 और इसके तहत बनाए गए एसईजेड नियमों, 2006 के नियम 27 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाएगी। ऐसी छूट केवल प्राधिकृत संचालन के लिए एसईजेड के भीतर आयातित माल के उपयोग के लिए लागू होगी। तथापि, ऐसे माल, या वहां निर्मित या प्रसंस्कृत माल को, एसईजेड से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) से हटाने, अंतरित करने या निकासी, लागू गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) आवश्यकताओं और निकासी के समय लागू ऐसे किसी भी अन्य लागू कानूनों, नियमों या विनियमों के अनुपालन के अध्यधीन होगा। इस आशय का एक वचन आयात के समय एसईजेड इकाई या एसईजेड डेवलपर द्वारा संबंधित एसईजेड विकास आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा।

इस अधिसूचना का प्रभाव: एसईजेड इकाइयों और डेवलपर्स द्वारा किए गए आयात के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) की प्रयोज्यता से छूट से संबंधित प्रावधानों को एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 के प्रावधानों के साथ संरेखित करने और क्यूसीओ की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टता लाने के लिए एफटीपी, 2023 के पैरा 2.03 (क) (iii) में संशोधन किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/13/एएम-15 /पीसी-2(ए)/ई-5910]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2026

No. 20/2026-27

Subject: Applicability of Quality Control Orders (QCOs)/BIS requirements on imports by Special Economic Zone (SEZ) Units and Developers- Amendment in Para 2.03(A)(iii) of FTP, 2023-reg.

S.O. 2827(E).— In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with Paragraph 1.02, of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments relating to SEZ imports in Para 2.03(A) (iii) of the FTP, 2023, with immediate effect, as under:

Existing Para 2.03A(iii)	Revised Para 2.03A(iii)
Exemption from applicability of mandatory QCOs issued under the BIS Act, 2016, shall be provided to SEZ on import of inputs which are required for export production. No DTA clearance of such inputs or goods manufactured made out of such inputs, are allowed. An undertaking to that effect will be submitted to the concerned Development Commissioner of the SEZ by the SEZ Unit at the time of importation. The exemption from QCO will be available for physical exports only. This exemption is further subject to para 2.03 (c) of FTP.	Exemption from applicability of Quality Control Orders (QCOs) issued under the BIS Act, 2016, shall be provided to SEZ Units or SEZ Developers for import of all permissible goods, including raw materials, components, consumables, spares, and capital goods, required for authorised operations within Special Economic Zones (SEZs), in accordance with the provisions of the SEZ Act, 2005 and Rule 27 of the SEZ Rules, 2006 made thereunder. Such exemption shall apply only for the use of the imported goods within the SEZ for authorised operations. However, any removal, transfer or clearance of such goods, or goods manufactured or processed therefrom, from the SEZ into the Domestic Tariff Area (DTA) shall be subject to compliance with the applicable Quality Control Orders (QCOs), Bureau of Indian Standards (BIS) requirements and any other applicable laws, rules or regulations in force at the time of such clearance. An undertaking to the above effect shall be submitted to the concerned Development Commissioner of the SEZ by the SEZ Unit or SEZ Developer at the time of importation.

<u>Effect of this Notification</u>: Para 2.03A(iii) of FTP, 2023 is amended to align the provisions relating to exemption from applicability of Quality Control Orders (QCOs) for imports by SEZ Units and Developers with the provisions of the SEZ Act, 2005 and SEZ Rules, 2006, and to bring clarity regarding the applicability of QCOs.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/13/AM-15/PC-2(A)/[E5910]]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA